न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी :– यशपाल आहूजा आर.ए.एस.

उनवान :– राजस्व वाद संख्या :– 037/2018

1. सरकार जरीये तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर

– – वादी

–:: बनाम ::–

1. बृजलाल पुत्र बीरबलराम जाति जाट साकिन मिर्जेवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
2. शाखा प्रबन्धक एस.बी.आई. बैक शाखा मिर्जेवाला

– – प्रतिवादी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

–:: उपस्थित ::–

1. पैरोकार राज	वादी
2. श्री विक्रम बिश्नोई	प्रतिवादी संख्या 1
3. बृजलाल पुत्र बीरबलराम	प्रतिवादी संख्या 1 स्वयं

– :: निर्णय ::–

दिनांक :– 11.06.2018

स्टेट आफ राजस्थान जरिये तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर द्वारा अन्तर्गत धारा 177 आर.टी.ए. का वाद प्रतिवादी के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया जिसके अन्तर्गत प्रतिवादी संख्या 1 के नाम चक 10 एफ बड़ा के मुरब्बा नम्बर 56 के किला नम्बर 21/1 में 0.045 व मुरब्बा नम्बर 57 के किला नम्बर 1/.115, 10/.169 हैक्टर कुल 0.329 हैक्टर भूमि खातेदार के नाम से खातेदारी दर्ज रिकार्ड है।

उक्त वर्णित खातेदारी भूमि का उपयोग कृषि कार्य में न किया जाकर मौके पर मकान/प्लाट बनाकर अकृषि कार्य में किया जा रहा है,

उक्त वर्णित आराजी काबिले काश्त है, केवल मात्र कृषि कार्य के लिये दी गई है इसे बिना सक्ष्म अधिकारी से सम्परिवर्तन कराये/स्वीकृति प्राप्त किये अकृषि कार्य में उपयोग किया जा रहा है। सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के बिना अकृषि उपयोग में लेना गैर कानूनी है।

उक्त वर्णित रकबा के सम्बंध में मुताबिक रिपोर्ट पटवारी हल्का अनुसार बिना स्वीकृति/सम्परिवर्तन कराये अकृषि उपयोग में किया जा रहा है। जो कानून की अवहेलना है उक्त वर्णित रकबा से अप्रार्थीगण को बेदखल किया जाकर राज्य हित में अधिग्रहण करने के आदेश फरमाये जावे।

वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिऐ नोटिस सूचित किया गया। प्रतिवादी द्वारा जरिये अधिवक्ता प्रार्थना पत्र धारा 10 सी.पी.सी. का प्रस्तुत किया जिसके अन्तर्गत कथन किया कि वाद ग्रस्त भूमि संयुक्त खाता की भूमि है जिसका विभाजन का वाद लम्बित है और वर्तमान में राजस्व मण्डल अजमेर में जैरकार है राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा वाद ग्रस्त भूमि बाबत स्थगन आदेश जारी किया हुआ है जो आज तक वैध व प्रभावी है

प्रार्थना पत्र के संलग्न माननीय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा जारी स्थगन आदेश का अवलोकन किया गया जिसमें वाद में वर्णित भूमि पर स्थगन सम्बंधी भूमि का स्पष्ट विवरण अंकित नहीं होनें के कारण यह स्पस्ट नहीं है कि स्थगन किस भूमि पर है, सुयोग्य अधिवक्ता द्वारा संयुक्त खाते की भूमि होने का कथन किया जा रहा है जबकि वादपत्र में शामिल राजस्व अभिलेख के अनुसार प्रतिवादी एकल खातेदार है इस कारण प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 10 सी.पी.सी. पूर्ण साक्ष्य के अभाव में पोषणीय नहीं होनें के कारण स्वीकार योग्य नही होनें से खारिज किया जाता है।

प्रकरण में न्याय आपके द्वारा अभियान 2018 में ग्राम पंचायत मिर्जेवाला में आयोजित राजस्व लोक अदालत में प्रतिवादी संख्या 1 स्वयं उपस्थित आये प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा कथन किया गया कि वाद में वर्णित भूमि में मेरे द्वारा खेती नहीं की जा रही है भूमि पर दुकान आदि बना रखी है।

लोक अदालत के दौरान विवादीत आराजी के सम्बंध में हल्का पटवारी से मौका रिपोर्ट प्राप्त की जाकर विवादित आराजी का भौतिक निरीक्षण किया गया जिसमें पाया गया के प्रतिवादीगण द्वारा विवादीत आराजी पर मौके पर प्लाट काटकर अकृषि कार्य के उपयोग में लिया जा रहा है। ना ही प्रार्थी द्वारा उक्त विवादीत आराजी के सन्दर्भ में भू. रूपान्तरण आदेश प्रस्तुत किया गया है।

अतः विवादीत आराजी पर बिना किसी सक्ष्म अधिकारी की स्वीकृति के गैर कृषि कार्य किये जानें के कारण वाद पत्र को स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 177 के अन्तर्गत चक 10 एफ बड़ा के मुरब्बा नम्बर 56 के किला नम्बर 21/1 में 0.045 व मुरब्बा नम्बर 57 के किला नम्बर 1/.115, 10/.169 हैक्टर कुल 0.329 हैक्टर भूमि को राज्य सरकार के पक्ष में अधिग्रहण कर बहक सरकार (सिवाय चक) घोषित की किया जाता है।

अतः उक्त अधिग्रहण शुदा भूमि के सम्बंध में तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर को निर्देशित किया जाता है, कि वे उक्त भूमि को अपने कब्जा में लेकर राजस्व रिकार्ड में सिवाय चक दर्ज करना सुनिश्चित करें।

निर्णय की प्रति तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर को पालनार्थ प्रेषित की जावे। पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल पत्रावली की जावे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद रिपोर्ट तहसील दाखिल दफ्तर हो

आदेश आज दिंनाक 11.06.2018 को लिखवाया जाकर न्याय आपके द्वार अभियान 2018 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत • मिर्जेवाला में आयोजित राजस्व लोक अदालत के मजमे आम में सुनाया गया।

(यशपाल आहूजा)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर(राजस्व)
श्रीगंगानगर